

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज

नम्ब

अहव

हुक्म

जारी

6/10/23

पत्रावली पैरा डुरी फकुलाय उपस्थित
तहसीलदार कुथना की रिपोर्ट के
आधार पर यह की स्कोटेदार की
पारिविक जाति रावणा राजपूत/
दरोगा ही है। जो सिंगत जमाकदी
में भी है। साथ ही राजपूत सामान्य
वर्ग में कही दरोगा/रावणा राजपूत
अन्य पिछठा वर्ग में आता है।
इसको कोई सिपिकम अरुद्धी नहीं है।
इस कारण रावणा राजपूत/दरोगा
ब्रह्म जाना उचित होगा। पत्रावली
आगे चलाने का कोई मौचित्य
नहीं है पत्रावली इसी स्तर पर
स्वार्थ की जाती है। पत्रावली
नम्बर को कम होकर दफतर
काबिल है। m

